

## वदिशी अंशदान से संबंधित नयिमों में परिवर्तन

### प्रलिस के लिये

वदिशी अंशदान (वनिनियम) अधनियम, 2010

### मेन्स के लिये

वदिशी अंशदान के वनिनियम की आवश्यकता, नयिमों में कयि गए परिवर्तन और उनकी आलोचना

## चर्चा में क्यो?

गृह मंत्रालय ने वदिशी अंशदान से संबंधित नयिमों को और कठोर बनाने के उद्देश्य से वदिशी अंशदान (वनिनियम) अधनियम, 2010 के तहत नए नयिम अधिसूचित कयि हैं।

## प्रमुख बदि

### ■ नए नयिम

- गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए नयिमों के अनुसार, कसि भी संगठन के लिये वदिशी अंशदान (वनिनियम) अधनियम (FCRA) के तहत स्वयं को पंजीकृत कराने हेतु कम-से-कम तीन वर्ष के लिये अस्तित्व में होना आवश्यक है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि उस संगठन ने समाज के लाभ के लिये गत तीन वर्षों के दौरान अपनी मुख्य गतिविधियों पर न्यूनतम 15 लाख रुपए खर्च कयि हों।
  - हालाँकि असाधारण मामलों में केंद्र सरकार को कसि संगठन को इन शर्तों से छूट देने का अधिकार है।
- वदिशी अंशदान (वनिनियम) अधनियम (FCRA) के तहत पंजीकरण कराने वाले संगठनों के पदाधिकारियों को वदिशी योगदान की राशि और जसि उद्देश्य हेतु वह राशि दी गई है, के लिये दानकर्त्ता से एक वशिष्ट प्रतबिधता पत्र जमा कराना होगा।
- यदि भारतीय प्राप्तकर्त्ता संगठन और वदिशी दानकर्त्ता संगठन में कार्यरत लोग एक ही हैं तो भारतीय संस्था को अंशदान प्राप्त करने के लिये पूर्व अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब-
  - प्राप्तकर्त्ता संगठन का मुख्य अधिकारी दानकर्त्ता संगठन का हसिसा नहीं है।
  - प्राप्तकर्त्ता संगठन के पदाधिकारी अथवा शासी निकाय के सदस्यों में से 75 प्रतिशत लोग वदिशी दाता संगठन के सदस्य या कर्मचारी नहीं हैं।
- यदि वदिशी दानकर्त्ता एकल व्यक्ति है तो यह आवश्यक है कि-
  - वह व्यक्ति प्राप्तकर्त्ता संगठन का पदाधिकारी न हो।
  - प्राप्तकर्त्ता संगठन के पदाधिकारी अथवा शासी निकाय के सदस्यों में से 75 प्रतिशत लोग वदिशी दानकर्त्ता के रशितेदार न हों।
- वदिशी अंशदान (वनिनियम) अधनियम (FCRA) के तहत पंजीकरण के लिये आवेदन शुल्क 3,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दयि गया है।
- इसके अलावा संशोधन के माध्यम से FCRA नयिम, 2011 में एक नया खंड शामिल कयि गया है, जसमें कहा गया है कि नयिम के खंड V और VI में उल्लिखित समूह यदि कसि भी तरह से सक्रिय राजनीति में भाग लेते हैं तो उन्हें केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक समूह माना जाएगा।
  - राजनीतिक संगठनों अथवा 'सक्रिय राजनीति' में हसिसा लेने वाले संगठनों पर वदिशी अंशदान प्राप्त करने से रोक लगाई गई है।

ध्यातव्य है कि FCRA नयिम, 2011 के नयिम 3 के खंड V और खंड VI कसानों, शर्मकों, छात्रों, युवाओं तथा जाति, समुदाय, धर्म अथवा भाषा के आधार पर बनने वाले ऐसे संगठनों से संबंधित है, जो प्रत्यक्ष तौर पर कसि भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं, कति वे अपनी गतिविधियों के माध्यम से अपने हतियों को बढ़ावा दे रहे हैं और साथ ही ऐसे समूह भी जो अपने हति के लिये राजनीतिक गतिविधियों जैसे कि बंद, हड़ताल और रास्ता रोक आदि में संलग्न होते हैं।

## प्रभाव

- सरकार के इस नरिणय से गैर-सरकारी संगठनों के लयि वदिशों से अंशदान प्रापूत करना और भी चुनौतीपूरण हो जाएगा ।
- ध्यातव्य है कइ इससे पूरव सतिंबर माह में जब संसद ने [वदिशी अंशदान वनियिडन \(संशोधन\) वधिडक, 2020](#) पारति कयि थल, तब न्यायवदिों के अंतर्राषूटरीय आयोग (ICJ) समेत कइ अंतर्राषूटरीय डानवाधकिर संगठनों ने सरकार के इस कडड की आलोचना की थी ।
- कइ आलोचक डानते हैं कइ सरकार ड्वारा इन संशोधनों का उपडोग ऐसे संगठनों के वरिडूध कारुडवाही करने के लयि कयि जा रहा है, जो सरकार के वरिडूध डोल रहे हैं ।

## वदिशी अंशदान (वनियिडन) अधनिडड, 2010 में संशोधन

- संशोधन के डधुडड से गैर-सरकारी संगठन (NGOs) डल वदिशी डोगदान प्रापूत करने वलले लोडों और संगठनों के सभी डदाधकिरयिों, नदिशकों एवं अनुड डरडुख अधकिरयिों के लयि आधर (Aadhaar) को एक अनवरुड डहचान डसूतावेऑ डना डयि गया थल ।
- संशोधन के डलड अब कोई भी वुडकूतल, संगठन डल रजसूडरूड कंडनी वदिशी अंशदान प्रापूत करने के डशूचातू कसूी अनुड संगठन को उस वदिशी डोगदान कल डरलंसडर नहीं कर सकूी है ।
- वदिशी अंशदान केवल सूूेट डैंक ऑफ इंडुडल (SBI), नई डललूी की उस शलखल में ही प्रापूत कयि जलएगल, जसूी केंडूर सरकलर अधसूिचति करेगी ।
- अब कोई भी गैर-सरकारी संगठन (NGO) वदिशी अंशदान की 20 डरतशित से अधकि रलशलकल इसूूेडल डरशलसनकि खरूच डर नहीं कर सकूतल है ।
- ध्यातव्य है कइ सरकलर ड्वारा कयि गए इन संशोधनों की रलषूटरीय तथल अंतर्राषूटरीय सूूतर डर कलडी आलोचना की गई थी ।

## डूषूठडूडड

- वदिशी अंशदान को नयिंतरूति करने के उडूडेशुड से वदिशी अंशदान (वनियिडन) अधनिडड को सरूवडूरूथड वरूष 1976 में अधनिडडडति कयि गया, जसूीके डलड वरूष 2010 में वदिशी अंशदान को नयिंतरूति करने से संबंघति नए उडलड अडनलए गए और वदिशी अंशदान (वनियिडन) अधनिडड को संशोधति कयि गया ।
  - इस अधनिडड कल डूरूथडकि उडूडेशुड डह सुनशूिचति करना है कइ अंशदान के करलण डरलर की आंतरकि सुरकूषल डर कोई डूरूतकूील डूरूडलव न डूडे ।
- डह अधनिडड उन सभी संघों, समूहों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) डर ललगू होता है जो कसूी भी उडूडेशुड के लयि वदिशों से अनुडलन प्रापूत करते हैं ।
- इस अधनिडड के तहत वधिडयकि और रलजनीतकि डलों के सदसुड, सरकलरी अधकिरी, नुडलडलधीश तथल डीडुडलकरूडी आडू को कसूी भी डूरूकर के वदिशी अंशदान प्रापूत करने से डूरूतडूिधति कयि गया है ।

## सूूत: ड हडू

PDF Referenece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/home-ministry-amends-fcra-rules>